

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 95/2022

श्री जयपाल सिंह पुत्र अन्तर सिंह, ग्रा०पो० बादल, तहसील व जिला चरखी दादरी (हरियाणा) पिन कोड 127026, मो०न०
9306226474

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश

दिनांक 04.04.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 08.03.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 95/2022 पर दिनांक 09.03.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/965-66 दिनांक 09.03.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना ने पत्रांक सू०अ०/2022/70 दिनांक 23.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री जयपाल सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के प्रकरण में आवेदक जयपाल सिंह पुत्र अन्तर सिंह ग्राम पोस्ट बादल, तहसील व जिला चरखी दादरी (हरियाणा) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना बाबत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू०अ०/2022/44 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। प्रार्थी ने अवगत कराया है कि उसके चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जावे।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक सू०अ०/2022/70 दिनांक 23.03.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री जयपाल सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना के प्रकरण में आवेदक जयपाल सिंह पुत्र अन्तर सिंह ग्राम पोस्ट बादल, तहसील व जिला चरखी दादरी (हरियाणा) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना बाबत उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक सू०अ०/2022/44 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) बुहाना द्वारा प्रार्थी को प्रेषित पत्र क्रमांक 44 दिनांक 24.02.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को सूचना नहीं मिली है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल०एस० कुडी)

जिला कलक्टर झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू